दिनांक 06.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति 11/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को सौंपा गया FICCI Smart Policing Award

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को अपर पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था/एसटीएफ द्वारा दिनांक 04-03-2025 को फिक्की फेडरेशन हाउस नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में पहल त्रिनेत्र 2-0 के Crime Investigation & Prosecution कटेगरी में प्राप्त FICCI Smart Policing Award सौंपा गया।

उल्लेखनीय है कि फिक्की अवॉर्ड हेतु नामित 16 राज्य पुलिस बलो 6 सीएपीएफ व अन्य केन्द्रिय एजेन्सियों सहित 23 संगठनो की 129 प्रविष्टिया में उ0प्र0 पुलिस को सबसे अधिक चार कटेगरी में स्मार्ट पुलिसिंग पुरस्कार प्रदान किया गया था। जिसमें पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 और अपर पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था को 'त्रिनेत्र 2.0 पहल के लिए सम्मानित किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा इस पहल के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में सम्मलित समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को बधाई दी गयी।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना रोजा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 05.03.2025 को थाना रोजा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अटसलिया पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त कुलदीप उर्फ नाटी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना रोजा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रोजा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कुलदीप उर्फ नाटी निवासी ग्राम अटसलिया थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1–चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना पहासू

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 1 लाख 50 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 05.03.2025 को थाना पहासू व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ग्राम खण्डार मार्ग पर बदमा"ा को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमा"ा ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त

कलाम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/नि"ादेही से लूट के 1 लाख 50 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना पहासू पर पंजीकृत लूट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पहासू पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कलाम निवासी मोहल्ला रमपुरा कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्द"ाहर।

बरामदगी

1–लूट के 1 लाख 50 हजार रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद फिरोजाबाद/थाना सिरसागंज

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 05 हजार रूपये नगद**
- **01 चोरी की मोटरसाइकिल**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 05.03.2025 को थाना सिरसागंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान नगला राई मोड़ सोथरा रोड पर बदमा"ा को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमा"ा ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त सनी उर्फ सनिया घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के

कब्जे/नि"ाादेही से लूट के 05 हजार रूपये नगद, 01 चोरी की मोटरसाइकिल, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्री"ाीटर अपराधी है, जो थाना टुण्डला पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, मैनपुरी, कमि"नरेट आगरा के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के 02 दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिरसागंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– सनी उर्फ सनिया निवासी कस्बा व थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–लूट के 05 हजार रूपये नगद।

2–01 चोरी की मोटरसाइकिल।

3–01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–24

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 7500/–रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 05/06.03.2025 की रात्रि थाना सेक्टर–24 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान सेक्टर–54 के पास बदमा"ा को रोकने का प्रयास किया

गया तो बदमा"ा ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मक्कू उर्फ मारूख उर्फ आहिल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/नि"ाादेही से चोरी के 7500/-रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमि"नरेट गौतमबुद्धनगर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 34 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर-24 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-मक्कू उर्फ मारूख उर्फ आहिल निवासी-ग्राम अब्दुल्लापुर थाना सिविल लाइन जनपद मेरठ हालपता-बी-733 द्वितीय तल डेरी फार्म मयूर विहार फेस-3 थाना गाजीपुर, दिल्ली।

बरामदगी

1-चोरी के 7500/-रूपये नगद।

2-चोरी की 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)।

3-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मऊ/थाना कोतवाली नगर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के (पीली-सफेद) धातु के आभूषण बरामद**

दिनॉकः 05.03.2025 की रात्रि थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोहल्ला कासिम पोखरी से अभियुक्त दीपक को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/नि"ादेही से चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मऊ, गाजीपुर व कमि"नरेट वाराणसी के के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दीपक निवासी ग्राम बेटावर कला थाना जमनिया जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1–चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

जनपद हापुड़/थाना पिलखुवा

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 10 दो पहिया वाहन**
- **चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 06.03.2025 को थाना पिलखुवा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जटपुरा से पहले दतैडी को जाने वाला रास्ता के पास से 04 अभियुक्तों 1–गुलजार 2–करन 3–सुबोध 4–जोगिन्दर को गिरफ्तार किया गया तथा 02 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/नि"ादेही से चोरी के 10 दो पहिया वाहन, चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध जनपद हापुड़, कमि”नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबद के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी आदि के आधा–आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गुलजार निवासी मुकीमपुर थाना भोजपुर, गाजियाबाद।

2–करन निवासी ग्राम ई”ाकनगर थाना भोजपुर, गाजियाबाद।

3–सुबोध निवासी ग्राम खैरपुर खैराबाद थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

4–जोगिन्दर निवासी मो0 f”ावाजीनगर कस्बा व थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

बरामदगी

1–चोरी के 10 दो पहिया वाहन।

2–चोरी के 02 मोबाइल फोन।

- **जनपद संतकबीरनगर/थाना दुधारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास/01 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना दुधारा पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त इरफान को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत **आजीवन कारावास व 04 लाख रूपये अर्थदण्ड** एवं अभियुक्त मोबीन को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 01 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बहराइच/थाना रिसिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना रिसिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/506 भादवि व

4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सोनू को 20 वर्ष के कारावास व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना अनपरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना अनपरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त भीम को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस0टी0एफ0-पंजाब राज्य से उत्तर प्रदेश में अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

दिनांक 05-03-2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को पंजाब राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य में अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले 02 अपराधियों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-</u>

1. गुरविन्द्र जीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह निवासी ओलख फार्म हाउस पलासौर रोड तरन तारन थाना सिटी तरन तारन जिला तरन तारन (पंजाब)
2. शेजपाल सिंह पुत्र अवतार सिंह नि0 ग्राम चक पन्डोरी थाना लोपोके जिला अमृतसर।

<u>बरामदगी-</u>

1. 01 अदद आर्म्स एण्ड एमूनेशन विक्रय बिल बुक (टैक्स इनवायस) धन धन बाबा दीप सिंह गन हाउस डीलर।
2. 01 अदद आर्म्स एण्ड एमूनेशन विक्रय बिल बुक (वेट इनवायस)मरहटटा गन हाउस आर्म्स एमूनेशन डीलर।
3. 01 अदद मरहटटा गन हाउस सम्बन्धी अवैध लाईसैंस की छाया प्रति।

<u>गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–</u>

दिनांक–05–03–2025, समय–18.50 बजे स्थान–पुलिस लाइन मेरठ स्थित एसटीएफ फील्ड इकाई कार्यालय।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदो में अवैध असलहों की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के मार्गदर्शन में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ में टीमें गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

उक्त क्रम में दिनांक 23–11–2024 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई मेरठ द्वारा थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ क्षेत्र से अन्तर्राज्यीय गैग के सदस्य रोहन पुत्र राकेश कुमार नि0 ग्राम लोहडडा थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत को 05 एसबीबीएल गन 12 बोर व 12 डीबीबीएल गन 12 बोर तथा 700 अदद कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 693/2024 धारा 109(1), 3(5), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) (क)/238(ख) बीएनएस एंव 3/5/25/27/25(8)/7/25(1) (1–क) आर्म्स एक्ट थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ पर पंजीकृत कराया गया था।

इसके पश्चात दिनांक 20–12–2024 को अन्तर्राज्यीय अवैध शस्त्र गिरोह का मुख्य सरगना एवं उक्त अभियोग का वांछित कुख्यात अपराधी अनिल बालियान उर्फ अनिल बंजी पुत्र पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम सिसौली थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर को थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ क्षेत्र से एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिससे 01 रायफल अवैध प्रतिबन्धित .30 बोर एंव 01 कारबाईन अवैध प्रतिबन्धित .30 बोर मय 15 कारतूस .30 बोर तथा 01 अवैध पम्प एक्शन गन 12 बोर बरामद किये गये थे। तत्पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एंव व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के अनुपालन में मुकदमा उपरोक्त की विवेचना थाना कंकरखेडा से एसटीएफ स्थानान्तरित की गयी थी। मुकदमा उपरोक्त की घटना में प्रयुक्त पिस्टल .45 बोर उक्त अभियुक्त अनिल बालियान उर्फ बंजी को पीसीआर पर लेकर उसकी निशादेही पर दिनांक 02–02–2025 को 02 कारतूस .45 बोर के साथ बरामद किया गया था।

दिनांक 05—03—2025 को तलविदा धन धन बाबा दीप सिंह गन हाउस तरन तारन (पंजाब) के स्वामी गुरविन्द्र जीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह निवासी ओलख फार्म हाउस प्लासौर रोड तरन तारन थाना सिटी तरन तारन जिला तरन तारन (पंजाब) मय शेजपाल सिंह पुत्र अवतार सिंह नि0 ग्राम चक पन्डोरी थाना लोपोके जिला अमृतसर (पंजाब) मय संबंधित आर्म्स एण्ड एमूनेशन विक्रय बुक के उपस्थित कार्यालय आये, जिनसे मुकदमा उपरोक्त की घटना में अभियुक्त अनिल बालियान उर्फ बंजी उपरोक्त से बरामद पिस्टल नम्बर एमएसडी 24 ए—1 004904, .45 बोर जो गुरविन्द्र जीत सिंह उपरोक्त द्वारा विशाल गन हाउस, पठानकोट से पूर्व में दिनांक 19.11.2024 को क्रय किया जाना पाया गया हैं, के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये—

- गुरविन्द्र जीत सिंह द्वारा बताया कि उपरोक्त पिस्टल को शेजपाल सिंह पुत्र अवतार सिंह, मरहटटा गन हाउस अडडा खासा जीटी रोड अटारी अमृतसर, पंजाब को उसके फर्जी लाईसेंस के आधार पर दिनांक 21.11.2024 को विक्रय की गयी हैं, एवं उक्त पिस्टल के अलावा 02 अन्य पिस्टल तथा 1020 कारतूस 315 बोर भी दिनांक 21.11.2024 को ही विक्रय किये गये थे।
- उक्त पिस्टल के अलावा दिनांक 21.11.2024 को ही उसके द्वारा सेकेण्ड हैण्ड 12 बोर पांच एसबीबीएल गन तथा पन्द्रह डीबीबीएल गन मरहटटा गन हाउस अडडा खासा, जीटी रोड अटारी अमृतसर, पंजाब को भी उसके फर्जी लाईसेंस के आधार पर विक्रय की गयी।
- शेजपाल सिंह द्वारा गुरविन्द्र जीत सिंह को मरहटटा गन हाउस की आर्म्स एण्ड एम्यूनेशन क्रय/विक्रय किये जाने सम्बन्धी एक लाईसेंस की कापी भी उपलब्ध करायी थी जिसमें लाईसेंस नम्बर 28537ए7ए28319 एंव वैद्यता दिनांक 28.08.2029 व लाईसेंस धारक अवतार सिंह पुत्र हजारा सिंह निवासी चक पन्डोरी जिला अमृतसर तथा पार्टनर शेजपाल सिह पुत्र अवतार सिंह निवासी उपरोक्त अंकित था। जबकि जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर की आख्या दिनांक 14—02—2025 के अनुसार मरहटटा गन हाउस का शस्त्र लाईसेंस अवतार सिंह पुत्र हजारा सिंह निवासी चक पन्डोरी जिला अमृतसर यूनिक नं0 28537डीईएलआर515692019 दिनांक 28.08.2024 तक वैद्य है, जिसमें कोई पार्टनर नही होना अंकित हैं।

- शेजपाल सिंह पुत्र अवतार सिंह मरहटटा गन हाउस उपरोक्त से उक्त असलहा व कारतूस क्रय/विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बताया कि उसके द्वारा पिस्टल नं0 24ए 1 004904 .45 बोर मय 20 कारतूस गुरविन्द्र जीत सिंह, धन धन बाबा दीप सिंह गन हाउस तरन तारन पंजाब से खरीदना तथा उक्त पिस्टल को मरहटटा गन हाउस की बिल बुक मे गौतम अहलावत पुत्र पवन अहलावत निवासी पटटी जिला तरन तारन के नाम फर्जी रसीद काटकर अनिल बालियान उर्फ बंजी को दिया जाना बताया।
- शेजपाल सिंह उपरोक्त द्वारा 12 बोर की सेकेण्ड हैण्ड बीस डीबीबीएल गन व 1000 कार्टेज 315 बोर तथा एक पिस्टल .45 बोर नं0 004899 व एक पिस्टल .32 बोर नं0 337567 तमन्ना गन हाउस कोट रोड मोगा के नाम फर्जी बिल काटकर अनिल बालियान उर्फ बंजी उपरोक्त व उसके साथियों को बेचे गये, जिनसे प्रति गन 40 से 50 हजार रूपय एंव प्रति कारतूस 100 रूपये लिये गये।
- मरहटटा गन हाउस का लाईसेंस शेजपाल सिंह के पिता अवतार सिंह के नाम हैं, जो करीब ढाई साल से थाना एसटीएफ मोहाली के मु0अ0सं0 92/2022 धारा 21/23/29/61/85 एनडीपीएस एक्ट, 25 आर्म्स एक्ट, 4/5 विस्फोटक अधि0, 13/16/18/20 यूएपीए एक्ट, 7/19 (1)(ए) पीसी एक्ट में सेन्ट्रल जेल अमृतसर मे बन्द है। अवतार सिंह सरमुख सिंह गैग का सदस्य है। सरमुख सिंह पाकिस्तान के ड्रग्स तस्करों से ड्रग्स मंगाकर पंजाब में सप्लाई करता है। सरमुख सिंह भी वर्तमान समय में जेल में बन्द है। शेजपाल सिंह ने उक्त गन हाउस के लाईसेंस मे पार्टनरशिप की बावत फर्जी तरीके से अपना नाम जुडवा लिया था तथा उसी के आधार पर वह असलहा व कारतूसों का व्यापार करता आ रहा हैं।
- शेजपाल सिंह उपरोक्त धन धन बाबा दीप सिंह गन हाउस के मालिक गुरविन्द्र जीत सिंह से अस्लाह व कारतूस खरीदे व बेचे जाने के व्यापार के सिलसिले मे काफी समय से जुडा हुआ हैं तथा अभियुक्त अनिल बालियान उर्फ बंजी व उसके साथियों को अस्लाह व कारतूस फर्जी रसीदों के आधार पर बेचकर उनसे भारी मुनाफा वसूलता है, जिसमे से कुछ पैसा गुरविन्द्र जीत सिंह को भी देता हैं।

गुरविन्द्र जीत सिंह व शेजपाल सिंह उपरोक्त को उनके जुर्म धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) (क) बीएनएस एंव 5/25(1)(क)/25(8) आर्म्स एक्ट से अवगत कराते हुए दिनांक 05.03.2025 को समय 18.50 बजें हिरासत पुलिस मे लेकर बाद आवश्यक कार्यवाही थाना कंकरखेडा पर दाखिल किया गया।

एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 तस्कर भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 05–03–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 तस्करों को भारी मात्रा में (हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश की सरकारी दुकानों पर विक्रीत होने वाली) अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– विशाल जायसवाल पुत्र रामचंद्र जायसवाल निवासी ग्राम पतवारा पोस्ट निगोची थाना लहरपुर जनपद सीतापुर उ0प्र0।

2– आदेश जायसवाल पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम– करनपुर थाना बेहटा जनपद हरदोई उ0प्र0।

3– निर्मल कुमार पुत्र मानसिंह महतो निवासी मधुरापुर थाना तेघरा जिला बेगुसराय बिहार।

बरामदगीः–

1– 45 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2– 2810/– रूपये नगद।

3– 03 अदद मोबाईल फोन।

4– 02 अदद आधार कार्ड।

5– 02 अदद एटीएम कार्ड।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः

दिनांक 05–03–2025 समय 21.25 बजे रात्रि सरीपुरा, आलमनगर चौकी क्षेत्र रिंग रोड थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के रास्ते बिहार राज्य में अवैध शराब की तस्करी होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में श्री दीपक कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उपनिरीक्षक श्री तेज बहदुर सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 हरीश कुमार सिंह चौहान, मु0आ0 विनोद कुमार यादव, मु0आ0 पवन सिंह विशेन, मु0आ0 कृष्णकांत शुक्ला, मु0आ0 सरताज अहमद, मु0आ0 सुनील कुमार यादव, कमाण्डो रवि कुमार एसटीएफ लखनऊ की टीम जनपद लखनऊ में भ्रमणषील थी। इस दौरान विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि हरियाणा व पंजाब राज्य से अवैध शराब लेकर व उत्तर प्रदेष के सरकारी दुकानों पर विक्री होने वाली अंग्रेजी शराब का बारकोड निकालकर अवैध तरीके से बिहार राज्य में सप्लाई किया जा रहा है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा सरीपुरा आलम नगर थाना क्षेत्र ठाकुरगंज से 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तो ने पूछताछ में बताया कि उनका एक गिरोह है, जिसका सरगना राहुल मोटा है। बिहार राज्य में शराब बन्दी होने के कारण बिहार में अवैध रूप से शराब की सप्लाई होती है। राहुल मोटा हरियाणा राज्य, लखनऊ व आसपास के जनपदों की सरकारी दुकानों से भारी मात्रा में शराब लेकर अपने सहयोगियो के माध्यम से विभिन्न ब्राण्डो की शराब की बोतलो पर लगे क्यूआर कोड व स्टिकर निकाल उन बोतलों को बिहार में निर्मल कुमार उपरोक्त के माध्यम से सप्लाई की जाती है। निर्मल कुमार रेलवे में कोच अटेन्डेन्ट है वह रेल कोच में अवैध अंग्रेजी शराब को छिपा कर ले जाता है। स्टिकर व क्यूआर कोड निकाल देने से यह नही पता चलता है, कि यह बोतले किस ठेके को सप्लाई की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध ठाकुरगंज जनपद लखनऊ में मु0अ0सं0 121/2025 धारा 60/63 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

————